HRA AT UNIONALIA THE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 329] No. 329] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2007/श्रावण 1, 1929 NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2007/SRAVANA 1, 1929

वित्त मंत्रालय

· (आर्थिक कार्य विभाग)

(मुद्रा प्रबंध अनुभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसुचना

मुंबई, 13 जून, 2007

सं. फेमा 156/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 495(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़वं बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फोमा 5/2000-औरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2007-कहलाएंगे।
- (ii) ये जनवरी 31, 2007 से लागू होंगे। @

2. विनियमावली में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 1 में, पैरा 6 में, उप-पैरा (ग) के बाद निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

"(घ) इस पैराग्राफ के तहत मंजूर किए गए ॠण और सुविधाएं ऐसे निदेशों के अधीन होंगी जैसा कि समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाए।"

> [फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :-

- (क) दिनांक 9-4-2002 का सं. सा.का.नि. 262(अ)
- (ख) दिनांक 19-8-2002 का सं. सा.का.नि. 577(अ)
- (ग) दिनांक 31-12-2002 का सं. सा.का.नि. 855(अ)
- (घ) दिनांक 4-8-2004 का सं. सा.का.नि. 494(अ)
- (ङ) दिनांक 7-4-2005 का सं. सा.का.नि. 221(अ)
- (च) दिनांक 14-11-2005 का सं. सा.का.नि. 663(अ)
- (छ) दिनांक 19-1-2006 का सं. सा.का.नि. 28(अ)
- (ii) @ यह स्पष्ट िकया जाता है िक ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से िकसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)
(Exchange Management Section)
RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 13th June, 2007

No. FEMA. 156/2007-RB

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT (DEPOSIT) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2007

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section

(1)

3231 GI/07

(2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act,1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 5/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short title and commencement :---

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall come into force from January 31, 2007@

2. Amendment of the Regulations:-

- (i) In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, in Schedule 1, in paragraph 6, after subparagraph (c), the following new sub-paragraph shall be inserted, namely:—
 - "(d) The loans and facilities granted under this paragraph shall be subject to such directions as may be issued by the Reserve Bank from time to time."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV] SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note:

- (i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 388(E) dated May 5, 2000 and subsequently amended vide:
- (a) No. G.S.R. 262(E) dated April 9, 2002,
- (b) No. G.S.R. 577(E) dated August 19, 2002,
- (c) No. C.S.R. 855(E) dated December 31, 2002,
- (d) No. G.S.R. 494(E) dated August 4, 2004,
- (e) No. G.S.R. 221(E) dated April 7, 2005,
- (f) No. G.S.R. 663(E) dated November 14, 2005 and,
- (g) No. G.S.R. 28(E) dated January 19, 2006
- (ii) (alt is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulation.